भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

R-3653-II/12

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म. प्र. ग्वालियर म. प्र.

(1) मूरतसींग राजपूत
(2) राजेशसिंह राजपूत
(3) अरविंदसिंह राजपूत

पिसरान श्री जंगबहादुरसिंह राजपूत
साकिन ग्राम नयाखेड़ा तह. व जिला सागर

.... आवेदकगण

बनाम

श्रीमती कपूरीबाई पिता श्री खिलानसिंह पत्नी स्व. श्री नारायणसींग ठाकुर
साकिन ग्राम नॅदरई तहसील पथरिया जिला ~~सागर~~ दमोह

.... अनावेदिका

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. सं. 1959

उपरोक्त आवेदकगण, न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर सागर द्वारा पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 46A/6 वर्ष 2011-12 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 13.08.2012 से परिवेदित होकर निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करते हैं :–

प्रकरण के तथ्य

(1) यह कि अनावेदिका श्रीमती कपूरीबाई ने आवेदकगण की मां श्रीमती कृष्णाबाई राजपूत को अपनी भूमि स्वामी हक्क की भूमि स्थित ग्राम आबचंद प.ह.नं. 22/109 रा. नि. मं. परसोरिया तहसील व जिला सागर की भूमि रकवा 10.80 एकड़ क्रमशः पंजीकृत बैनामा दिनांक 04.02.66 एवं 27.05.71 के द्वारा विक्रयकर मालिकाना व खास कब्जा सौंप दिया था, तदनुसार श्रीमती कृष्णाबाई जीवन पर्यन्त उक्त भूमियों पर बतौर मालिक काविज रही, उनकी मृत्यु उपरांत उसके वैद्य वारिसान आवेदकगण मालिक काविज रहते हुए नियमानुसार लगान अदा करते चले आ रहे हैं।

(2) यह कि उक्त पंजीकृत बैनामा दिनांक 27.05.71 के आधार पर श्रीमती कृष्णाबाई का नाम भूमि रकवा 5.40 एकड़ पर राजस्व अभिलेखों में उसी समय दर्ज हो गया था, किंतु भूलवश बैनामा दिनांक 04.02.66 के अनुसार शेष भूमि 5.40 एकड पर नामांत्रण न हो पाने से, आवेदकगण ने संबंधित पटवारी को उक्त दोनों बैनामे देकर बताया कि बैनामा दिनांक 27.05.71के अनुसार नाम दर्ज हो चुका है, अब दिनांक 04.02.66 के बैनामा अनुसार नामांत्रण होना है, लेकिन निम्न न्यायालय ने इस तथ्य को अनदेखा कर, पुनः बैनामा दिनांक 27.05.71के अनुसार संशोधन पंजी क्र. 8 में पारित आदेश दिनांक 06.02.09 के आधार पर नामांत्रण आदेश दिया [redacted] था।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(12)

प्रकरण कमांक निग. 3653—एक / 12 — जिला – सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3—12—14 सागर कैंप	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव उपस्थित । 2— प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 2—1—14 को अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है जबकि यह निगरानी अपर कलेक्टर के अंतरिम आदेश दिनांक 13—8—12 के विरूद्ध पेश की गई है । अतः इस निगरानी को आगे चलाए रखने का कोई औचितय अब नहीं रह गया है । अतः यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । आवेदक अपर कलेक्टर के अंतिम आदेश के विरूद्ध निगरानी पेश करने हेतु स्वंत्र हैं । 3— अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । प्रशा0 सदस्य	